

849

825 5000Rs.



Attested by
 P. V. Verma
 Adv.
 29.07.2011

सपत्नी वरिष्ठ अति म हल
 साहित्यिक पत्रिका व अड्डा
 निवासी - अरुण हल स. म. न. ह.
 F.P. Verma
 29/07/2011

महाराष्ट्र राज्य न्यायपालिका
 मुंबई न्यायालय 1956 ची न्याय
 16.11.2011
 न्याय: न्यायाधीश महाराष्ट्र न्यायालय
 (मुंबई न्यायालय एच. 2) 1956 ची न्याय
 1. या 1 व न्याय 23. I A WITH the Permission
 by L. R. D. C. Simdega
 न्यायिक न्यायालय मुंबई
 न्याय (या न्याय न्याय न्याय न्याय न्याय)
 न्याय न्याय न्याय न्याय न्याय

23. I A WITH the Permission
 by L. R. D. C. Simdega
 vide case no. 86/2011-12
 order dated
 29/7/11



15/07/11
 अरुण
 29/7/11

§ 18 लेख्यकारी:- श्री पियुस रक्का पिता स्व० पतरस रक्का
 जाति- उराँव, धर्म- इसाई, पेशा- गृहस्थी, निवास ग्राम-
 गोतरा मरियमपुर, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

शपथ-पत्र संख्या:- 612 /2011

परचाण गवाह
 लेख्यकार खोरंग
 पिता - श्री विष्णोदिस खोरंग
 ग्राम सातरा फागुवेल
 थाना - सिमडेगा
 जिला - सिमडेगा

29-7-2011



—2—

॥ 2॥ लेख्यधारिणी:- श्रीमति ज्योति कुल्लू पति श्री प्रभात कुल्लू
जाति- खड़िया, धर्म- इसाई, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम-
जोकबहार बगोचाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

अपुस एडा
29/7/11

शपथपत्र संख्या:- 613 /2011

॥ 3॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
हमेशा के लिए बिक्री होता है ।

॥ 4॥ मूल्य:- मोबलिंग एक लाख चौरानबे हजार रुपया अके
1,94,000/- रुपये होता है ।

॥ 5॥ सम्पति:- एराजियात खरोदगो रैयती आवासीय जमीन
वाके मौजा- गोतरा मरियमपुर, थाना- सिमडेगा, थाना नं०
80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के छाता नं०
179 एक सौ उनासी॥ प्लॉट नं० 3105 एकतीस सौ पाँच॥
रकबा 0.10 एकड़ दस डिसमिल॥ जिसकी चौहददो:-

गवाह- अरुण लिफ्ट
पिता श्री तिमोबिन्दु लिफ्ट
सा० गोतरा डिफेंस कॉलोनी
थाना- सिमडेगा
जिला- सिमडेगा
ता०- 29-07-2011



--3--

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश रास्ता कच्ची 10¹ फीट,
 दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश फिलोमिना कुल्लू का टांड,
 पूरब :- इसी प्लॉट का अंश मनसुख डुंगडुंग का टांड,
 पश्चिम:- इसी प्लॉट का शेष अंश टांड नोज बिक्रेता ।
 मालगुजारी 0.02 पैसा १दो पैसा अलावे सेस सालाना ।
 वर्णित बिक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर किसी तरह का निर्माण
 नहीं है तथा मूल्य दरिफा में अन्य सड़क आवासीय में रिक्त है ।

सत्यमेव जयते
 29/3/11

१११ चुँकि मुझ लेख्यकारो को पुत्रो के विवाह हेतु रूपयों की
 आवश्यकता है तथा बिना जमीन बेचे रूपया पाने का कोई और
 अन्य उपाय नहीं है अतः मैने उपरोक्त लेख्यधारिणी से मेरो जमीन
 खरीदने को प्रार्थना किया जिसे उन्होने उपर वर्णित मूल्य पर
 खरीदना स्वीकार कियो ।

११२ अतः मै तन एवं मन की स्वतन्त्रता में रहकर उपर खाना
 संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर वर्णित मूल्य नगद चुकता
 पाकर बेचा वो बेची गई भू सम्पत्ति का सारा हक वो अधिकार




--4--

हमेशा के लिए लेख्यधारिणी एवं उनके वारिशान को हस्तान्तरित कर दिया। अब से उक्त जमीन पर मेरा कोई हक सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का होगा।

1/14/2011
11/14/2011
1/14/2011

§ 3 § मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपरोक्त जमीन हमारे खरीदगो जमीन है जिसे मेरे पिता बाबू पतरस एक्का ने निबंधित दस्तावेज संख्या 281 दिनांक 27.05.1946 को छतियानी रैयत मत्लू उराँव से खरोदा एवं बाद खरोदगो के उपरोक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार रहा तथा जमाबन्दो कायम हुआ। मेरे पिता पतरस एक्का को मृत्यु हो चुकी है। पिता को मृत्यु के बाद मैं उनका उत्तराधिकारी उक्त वर्णित जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हूँ। इसपर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भारदेन नहीं है।

§ 4 § वुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं अतः जमीन खरोद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 86/2011-12 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 20.7.2011



—5—

को प्राप्त हुई एवं जिला मेमो नं० 7796 दिनांक 20.7.2011 है।

§5§ अब बाहिर कि लेखधारिणी उपरोक्त जमीन पर काविज वी दखलदार होकर घर आदि बनाकर भोग तत्पर करें तथा जमीन्दार आरक्षण सरकार के सिरिस्ते अंचल कार्यालय, सिमडेगा में अपने नाम दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से मालगुजारी अदा कर मालगुजारी रतनाप स्वयं के नाम से प्राप्त किया करें।

§6§ इतलिय यह विक्रय पत्र केवाला वैला क्लामी सदा दिन के लिए लिखा दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

11/7/11
अस रक्ष



--6--

मैं लेख्यकारो यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रोत जमीन
वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

प्रियुस एड्वा
29/7/11

प्रियुस एड्वा
29/7/11



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारो ने अपने कार्य एवं क
र्षाचो अंगुलियों क विज्ञान मेरे समक्ष किया ।

1
By
Pranod Singh
Att.
29.07.2011



--7--

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरोदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

ज्योति कुल्य

29.7.11



पमाहित किया जाता है कि लेख्यधारिणी ने अपने बायें हाथ के पांचों अँगुलियों का निशान मेरे सख्त की।

By
Ramesh Chandra
29.07.2011

11/11/11
Ramesh Chandra

20 Rs.



--8--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

11/11/11
रु 20/-
अभय

सही/- *Rajendra Singh*
29.07.2011

प्रारूपकर्ता
तारीख:-

20 Rs.



--9--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल नौ पृष्ठों में कुल 582 शब्द टंकित हैं जो छापडन रहित वी नक्शा सहित है ।

टंकक
सी० महबूब
29-7-11

सी० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

विक्रय पत्र
29/7/11